

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,

विशेष सचिव,

३०प्र० शासन।

सेवा में

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

३०प्र० लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-३७ में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन योजनान्तर्गत सिटी लेबल टेक्निकल सेल (सी०एल०टी०सी०) व स्टेट लेबल टेक्निकल सेल (एस०एल०टी०सी०) के गठन हेतु केन्द्रांश व राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-एन-11036/27/2016/एचएफए-१(एफटीएस-15356) दिनांक ०६ सितम्बर, २०१६ द्वारा सिटी लेबल टेक्निकल सेल (सी०एल०टी०सी०) के गठन तथा पत्र संख्या-एन-11036/27/2016/एचएफए-१(एफटीएस-15356) दिनांक १५ जुलाई, २०१६ द्वारा स्टेट लेबल टेक्निकल सेल (सी०एल०टी०सी०) के गठन हेतु जारी केन्द्रांश की धनराशि के आधार पर आपके पत्र संख्या-४५२७/४०/७६/एक/२०१६-१७ दिनांक २१ दिसम्बर, २०१६ व पत्र संख्या-४५२९/४०/७६/एक/२०१६-१७ दिनांक २१ दिसम्बर, २०१६ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी मिशन) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश के रूप में सिटी लेबल टेक्निकल सेल (सी०एल०टी०सी०) के गठन हेतु ₹० ७८३.०० लाख (रूपये सात करोड़ तिरासी लाख मात्र) व स्टेट लेबल टेक्निकल सेल (एस०एल०टी०सी०) के गठन हेतु ₹० ५१.०० लाख (रूपये इक्यावन लाख मात्र) की धनराशि की, निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

१. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-१६२/२०१६/६२३/६९-१-२०१६-१४(१३९)/२०१५टीसी, दिनांक २१ मार्च, २०१६ व शासनादेश संख्या-८६६/२०१६/२९१६/६९-१-१६(१३९)/२०१५टीसी, दिनांक २९ दिसम्बर, २०१६ में दिये गये दिशा-निर्देशों/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
२. उक्त धनराशि आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी तथा योजना की गाइड लाइन्स का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
३. उक्त योजनान्तर्गत सिटी लेबल टेक्निकल सेल (सी०एल०टी०सी०) व स्टेट लेबल टेक्निकल सेल (एस०एल०टी०सी०) के गठन/पदों के सृजन आदि से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् ही स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त भुगतान की यास्तवित आवश्यकता के दृष्टिगत ही मासिक आवश्यकता के अनुरूप ही धनराशि का आहरण राजकोष से किया जायेगा।
४. स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

5. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकता के अनुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
6. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
7. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. उक्त मद में अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
10. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
11. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि, कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
12. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अद्यत्य करायेंगे।
13. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा और प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनार्य-051-निर्माण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-हाउसिंग फार आल(अरबन) मिशन योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सूजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या य०ओ0-ई-8-820/दस-2017, दिनांक 05 जून, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या- २८ /2017/536(1)/69-1-17-14(18)/2017, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, २० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
3. निटेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, ऊठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. अनु सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-१, ३०प्र० शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से
lpsk
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।